+ (15)

शा०वि० 243

सं० /IV(2)-श0वि0–11–29(एन0यू0आर0एम0)/09

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : **देहरादून: दिनांक–24 दिसम्बर, 2011**

विषय:– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हरिद्वार में दो सीवरेज परियोजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(1)/P.F.–1/2011–865 दिनांक 2–11–2010 द्वारा हरिद्वार में दो सीवरेज परियोजना यथा जोन–डी (कनखल) एवं जोन–डी1 (आर्यनगर) हेतु ₹ 2698.00 लाख तथा जोन–सी–2 हेतु ₹ 748.33 लाख, इस प्रकार कुल ₹ 3446.33 लाख की डी0पी0आर0 संस्तुत करते हुए प्रथम चरण के लिए केन्द्रांश की धनराशि ₹ 689.27 लाख अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त केन्द्रांश ₹ 689.27 लाख तथा केन्द्रांश की 80 प्रतिशत धनराशि के अनुपात में देय 20 प्रतिशत राज्यांश ₹ 172.32 लाख की धनराशि सहित कुल ₹ 861.59 लाख **(₹ आठ करोड़ इकसठ लाख उनसठ हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि ₹ 861.59 लाख **(₹ आठ करोड़ इकसठ लाख उनसठ हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी **संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और इसे वह पी0एल0ए0 खाते में रखेंगे।

(ii) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

(iii) सीएसएमसी की बैठक दिनांक 25–3–2011 में लिये गये निर्णय के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन तथा उक्त बैठक में लिये गये अन्य निर्णयों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यो हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।

(v) जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

(vii) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(viii) निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

(ix) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

(x) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों एवं उक्त सभी के विषय में समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(xi) आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(xii) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(xiii) कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(xiv) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा वहन नहीं होगा।

(xv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0 868/XXVII(2)/2011, दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

सं0 ला·प्र·243 (1)/IV(2)-श0वि0–11,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
12. अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार।
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड बुक ।
16. अधिशासी अभियन्ता गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई हरिद्वार

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

GO JNNURM